दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 20-07-2025

आदेश • प्रशासन ने लीज नवीनीकरण किया था नामंजूर

मिशन अस्पताल प्रबंधन को राहत नहीं, हाई कोर्ट से याचिका खारिज

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

मिशन हॉस्पिटल प्रबंधन को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। संभागायुक्त के यहां से अपील खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अपील खारिज होने के बाद 100 साल पुराने और तकरीबन जर्जर हो चुके भवन का करीब 80 फीसदी हिस्सा ढहाया जा चुका है।

ईसाई मिशनरी संस्था डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट संस्था का दावा है कि वर्ष 1882 से वे बिलासपुर में चिकित्सा, शिक्षा और सेवा कार्यों में लगे हैं। 1925 में राज्य सरकार से उन्हें लीज पर जमीन दी गई थी, जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहा। 1994 के बाद तकनीकी कारणों से नवीनीकरण लंबित रहा, लेकिन कब्जा, सेवा कार्य और किराया भुगतान लगातार होता रहा। इस बीच प्रशासन के समक्ष लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया गया। लेकिन इसे नामंजूर कर दिया गया। संभागीय आयुक्त ने संस्था की पट्टा नवीनीकरण अपील खारिज कर दी। इससे पहले 6 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद 8 जनवरी 2025 को अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर अस्पताल, नर्सिंग स्कूल, स्टाफ क्वार्टर और चर्च समेत 80% हिस्सा ध्वस्त कर दिया। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि लीज डीड के खंड 8 के तहत संस्था 30 वर्षों के लिए स्वचालित नवीनीकरण की हकदार है। इसके बावजूद अधिकारियों ने मनमाने तरीके से नवीनीकरण से इनकार किया और कथित रूप से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जमीन को खाली कराने की योजना बना ली।

कहा- प्रशासन ने किराया लेने से किया इनकार

याचिका में मिशन ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे किराया जमा करने गए तो प्रशासन ने जानबूझकर लेने से इनकार किया और बाद में गैर-भुगतान का बहाना बनाकर कब्जा खत्म कर दिया। न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही कोई न्यायसंगत सुनवाई। यहां तक कि नोटिस के बिना ही बुलडोजर चला दिया गया। याचिका में मांग की गई थी कि 7 फरवरी 2025 का आदेश रद्द किया जाए, पट्टे का नवीनीकरण 30 वर्षों के लिए किया जाए, ढहाए गए हिस्से की पुनर्स्थापना और उचित मुआवजा दिया जाए।

सरकार ने कहा- शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई

वहीं, राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता पट्टे की शर्तों का लंबे समय से उल्लंघन कर रहे थे। इसके अलावा कब्जे का दुरुपयोग किया है। जमीन पर कब्जा वापस लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया।